FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0104 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/05/2024 16:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भा दं सं 1860	34

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/05/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:32 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/05/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/05/2024 16:31:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 350 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** POLICE STATION BHADESAR, CHITTORGADH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ANISH KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HAJI ABDUL SATTAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAWA, CHITTORGADH, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAWA, CHITTORGADH, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7297901360

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAVINDRA SEN		पिता:BHERU LAL SEN	1. HOLI CHOWK,KHERODA BHINDER,UDAIPUR,UDAIPUR, RAJASTHAN,INDIA
2	SURESH BHADU		पिता:PUNA RAM BHADU	1. ROTU,JAAYAL NAGAUR,NAGAUR,RAJASTHA
3	KAILASH CHANDRA TELI		पिता:GOTU TELI	1. KAILASH RESTORENT,BHADESAR,CHITTORGADH,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतीरीक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार नीरोधक ब्योरो चित्तौडगढ़। विषय- रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत् निवेदन है की अभी 1 गन्टा पेहले मेरे दोस्त रईस ने मुझे फोन करके बताया की हुसेन के किसी गुजर से जगड़ा हो गया ओर भदेसर थानेदार रवीन्द्र सेन ने दानो को हवालात में डाल दिया है ओर मार पीटाई भी की है, थानेदार बीना पेसे लीऐ छोड़ेगा नही मारपीट ओर करेगा। हुसेन मेरा दोस्त है लेकिन मे ईस थानेदार को ऐक रूपया भी रीश्वत नहीं देना चाहता हु थानेदार से मेरी कोई दुशमनी नहीं है ना ही मेरे उधार रूपये लेने देने का कोई काम है, हुसेन के पिताजी कम समझते है, घरवाले मेरे पर भरोसा करते है ओर ईनका कोई भी काम हो तो मुझे बताते है। कानुनी कारवाही करे। एसडी एसडी भवदीय (चन्द्रकान्त राजोरिया) (नरेन्द्र सिंह चैहान) एसडी अनिस खान पिता हाजी अब्दुल सत्तार खा निवासी सावा तहसील व जीला चीतोडगढ़। मोबाईल नम्बरः-7297901360 कार्यवाही पुलिस दिनांक 26.05.2024 को समय करीब 7.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिश खान कार्यालय में हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ उपस्थित है, रिपोर्ट का अवलोकन किया, परिवादी ने बताया कि यह थानेदार श्री रविन्द्र सेन पहले भी छोटी छोटी घटनाओं पर भी लोगों को पीट कर बहुत पेशा ले चुका है, मेरे मित्र हुसैन मो. अब्दुल गफार उम्र 25 वर्ष निवासी सावा जिला चितौड का धन्धा कार गेराज का है होडा चोराहा पर इसका पडोसी कोई गुर्जर है जिससे कुत्ते को लेकर छोटा मोटा विवाद हुआ है, थानाधिकारी भदेसर रविन्द्र सेन ने दोनो पक्षों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है मेरे मित्र रईस ने बताया कि हुसैन के कुत्ते को गुर्जर जबरदस्ती ले लेना चाह रहा है इसी बात पर विवाद हुआ, मारपीट नहीं करने और जल्दी पेश कराने के लिए थानेदार पैसा मांग रहा है, परिवादी की शिकायत का सत्यापन आवश्यक है मालखाना से डीवीआर मंगवाया जाकर हैड कानि. श्री जितेन्द्र का परिवादी श्री अनीस खान से परिचय करवाया जाकर सत्यापन हेतु मय डिवीआर रवाना किया जाता है। समय करीब 10.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अनीस खान एवं हैड कानि. श्री जितेन्द्र सिंह पुनः कार्यालय आये और बताया कि थाना प्रभारी श्री रविन्द्र सेन से मुलाकात थाने में हो गई थी, परिवादी ने अपने मित्र के साथ मारपीट नहीं करने और जल्दी पेश करने का निवेदन किया था। श्री रविन्द्र सेन ने कल सुबह 11.00 बजे आने के लिए बोला है मौके की वार्ता रिकॉर्ड की गई है। थानाधिकारी से वार्ता उनके थाना परिसर पर स्थित आवास पर भदेसर पर हुई। समय करीब 10.30 पी.एम. पर रिकार्डेड वार्ता सुनी गई डीवीआर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया कल ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात् दिनांक 27.05.2024 समय करीब 8.25 ए.एम. पर परिवादी कार्यालय में मौजूद है मालखाने से डिवीआर निकलवाया गया तथा हैड कानि. श्री जितेन्द्र सिंह के हमराज परिवादी अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। समय करीब 11.20 ए.एम. पर परिवादी और हैड कानि. श्री जितेन्द्र सिंह कार्यालय में हाजिर है परिवादी ने बताया कि मेरी थानाधिकारी से रविन्द्र सेन तथा कानिस्टेबल सुरेश से बात हुई है, वार्ता थाने में ही हुई है, पन्द्रह हजार की डिमाण्ड की है, हुसैन को अभी पेश करने का आश्वासन दिया है, डीवीआर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. ने पेश किया रिकार्डेड वार्ता सुनी गई पन्द्रह हजार रूपये की डिमाण्ड है। समय करीब 12.05 पी. एम. पर श्री दलपत सिंह को स्वतन्त्र गवाहान बुलाने हेतु पत्र तैयार करने के निर्देश पर पत्र तैयार कर रवाना किया गया। समय करीब 12.40 पी.एम. पर गवाहान श्री चन्द्र कान्त राजोरिया वाणिज्यिक सहायक द्वितीय तथा श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता पीडब्ल्यूडी चित्तौडगढ कार्यालय में हाजिर है। परिवादी का दोनो गवाहान से परिचय करवाया गया परिवादी द्वारा पेश प्रथम सूचना दोनों गवाहान को पढाई गई तथा गवाहान के दस्तखत उस पर करवाये गये। समय करीब 1.20 पी. एम. पर दिनांक 26.05.2024 एवं 27.05.2024 को परिवादी तथा आरोपीगणों के मध्य रिश्वत राशि को लेकर हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में हैड कानि. श्री जितेन्द्र सिंह की मदद से तैयार जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने हेतु परिवादी को बोला गया

साथ ही आरोपी श्री रविन्द्र सेन के मोबाईल नम्बर 9929463301 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9636448598 से कॉल लगाया गया कि रिश्वत राशि कहा देनी है तो कॉल नहीं उठाया गया परिवादी ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि अभी पेश करता हॅू। समय करीब 6.30 पी.एम. पर परिवादी रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश नहीं कर पाया है कल सुबह व्यवस्था होगी, ऐसा बता रहा है आरोपी सुरेश कास्टेबल की लोकेशन व उपलब्धता जानने हेतु परिवादी के फोन से सुरेश के फोन (मोबाईल) पर कॉल करवाया गया, आरोपी उपस्थित है, अभी ओर कल सुबह दोनो टाईम रिश्वत राशि लेने के लिए तत्पर है, स्पीकर ऑन पर हुई वार्ता कार्यालय के डीवीआर में रिकॉर्ड की गई। समय करीब 7.00 पी.एम. पर परिवादी को कल सुबह 7.30 बजे रिश्वत राशि में दीये जाने वाले रूपये लेकर कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गवाहान ने सम्पूर्ण रिकॉर्डिंग सुन ली है, अतः उन्हें पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर कल सुबह 7.30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया, समस्त स्टाफ को आवश्यक निर्देश ओर डीवीआर सुरक्षित मालखाने में रखवाया। तत्पश्चात् दिनांक 28-05-2024 को समय करीब 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में पाबन्द शुदा परिवादी श्री अनीस खान व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री चन्द्रकांत राजोरिया व श्री नरेन्द्रसिंह मय पाबन्दशुदा कार्यालय स्टाफ उपस्थित आया तथा भ्र. नि. ब्यूरो इन्टें उदयपुर से पाबन्दशुदा श्री दलपतसिंह क.स. कार्यालय में उपस्थित आया है। समय करीब 8.00 ए.एम. पर दिनांक 27-05-24 को समय 6.29 पी. एम. पर परिवादी श्री अनीस खान व संदिग्ध श्री सुरेश कान्सटेबल पुलिस थाना भदेसर के मोबाईल पर उनके मध्य वार्ता हुई जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई जिसकी फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय करीब 8.40 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अनिस खान से श्री सुरेश पुलिसकर्मी पुलिस थाना भदेसर को श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी भदेसर के लिये दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री अनिस खान ने अपने पास से 500-500 रूपये को 30 नोट कुल 15000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है - 1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 7PK 788246 2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 8TP 915866 3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 3QQ 351885 4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2RN 301663 5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 3QP 399763 6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 6QB 426126 7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 7QQ 329674 8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 7QQ 329673 9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 7QQ 329672 10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 7QQ 329670 11 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 1EH 425462 12 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 1EH 425460 13 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 1EH 425499 14 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 0BQ 141281 15 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2EV 968528 16 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4SN 831143 17 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2QM 871791 18 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 0SH 523873 19 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4FS 695594 20 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 9EM 664890 21 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 5EE 779921 22 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 0CP 082343 23 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4TS 639353 24 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 9EE 385805 25 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 6ER 730195 26 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 1CE 079314 27 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 7CU 144387 28 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4WC 180407 29 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4GG 643596 30 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 0RA 353053 परिवादी श्री अनिस खान द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 को मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री अनिस खान की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री खालिद हैड कानि से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मोबाईल से मिस कॉल कर अथवा गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपने दोनो हाथो को स्वयं के सिर पर

घुमाना) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी श्री अनिस खान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि के मोबाईल नम्बर भी देते हुए परिवादी श्री अनिस खान को समझाईश की गई कि मौका मिलने पर श्री जितेन्द्र सिंह के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। श्री खालिद हुसैन हैड कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयां, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री अनिस खान को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान ब्यूरो कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस कार्यवाही की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फोटो ग्राफी की गई जिसकी प्रिन्ट पृथक से शामिल पत्रावली की जायेगी। समय करीब 9.20 ए.एम. पर श्री जितेन्द्रसिंह हैड कानि., श्री खालिद हुसैन हैड कानि., श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्रसिंह स्वतन्त्र गवाह को परिवादी श्री अनीस खान की निजी प्राईवेट गाड़ी से आगे-आगे होड़ा चैराहा भदेसर के लिये रवाना करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सान्दू, मय स्वतन्त्र गवाह श्री चन्द्रकांत राजोरिया, मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपतसिंह सहायक उप निरीक्षक मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स हम सभी आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे. -14-यू.सी.-8792 मय चालक श्री शेरसिंह के ब्यूरो कार्यालय चितोडगढ़ से होड़ा चैराहा भदेसर के लिये रवाना हुए तथा श्रीमती टीना कंवर महिला कान्सटेबल को कार्यालय में आवश्यक निर्देश दिये जाकर छोड़ा गया। तत्पश्चात समय करीब 10.40 ए.एम. पर दर्ज रहे कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सान्दू मय दोनो स्वतन्त्र, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता सहित रवाना शुदा समय करीब 9.50 ए.एम. पर होड़ा चैराहा भदेसर पहुंचकर वाहनों को एक तरफ खड़ा कर समय करीब 9.52 ए.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को उसके मोबाईल नम्बर 9636448598 से आरोपी श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल के मोबाईल नम्बर 9587189388 पर लोकेशन जानने हेतु लाउडस्पीकर ऑन कर कॉल लगवाया जिस पर आरोपी ने कॉल को काटा गया। उक्त कॉल को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसके तुरन्त पश्चात् समय करीब 9.52 ए.एम. पर आरोपी श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल के मोबाईल नम्बर 9587189388 से परिवादी श्री अनीस खान के मोबाईल नम्बर 9636448598 पर व्हाट्सअप कॉल आया जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर कॉल अटेण्ड कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री सुरेशकुमार ने तुलसी होटल पर रिश्वत राशि देने की कहा जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो गवाहान, परिवादी व ट्रेप के सदस्य होड़ा चैराहा पर ही मुकीम रहे। समय करीब 10.29 ए.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री अनीस खान के मोबाईल नम्बर 9636448598 से आरोपी श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल के मोबाईल नम्बर 9587189388 पर लाउडस्पीकर ऑन कर व्हाट्सअप कॉल करवाया तो श्री सुरेश कुमार कान्सटेबल ने होड़ा चैराहा के पास हाईवे पर तुलसी होटल पर मिलने के सम्बन्ध में वार्तालाप की जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय करीब 10.45 ए.एम. पर आरोपी श्री सुरेश कुमार कान्सटेबल व परिवादी के मध्य हुई वार्ता अनुसार होड़ा चैराहा के पास हाईवे पर स्थित तुलसी होटल पर रिश्वत राशि लेकर बुलाया जिस पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सान्दू, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री अनीस खान एवं ब्यूरो जाब्ता जरिये सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी की निजी वाहन में पूर्वानुसार होड़ा चैराहा भदेसर से होटल तुलसी की ओर रवाना हुए तथा परिवादी को होटल तुलसी से पहले रूकने की हिदायत दी गई। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के होड़ा चैराहा समय 10.45 ए.एम. पर रवाना शुदा होटल तुलसी के पास समय करीब 10.56 ए.एम. पर पहुंचे तथा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर होटल तुलसी की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के होटल तुलसी के आस-पास परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार में खड़े रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी द्वारा बिना कोई निर्धारित ईशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान के पास आये जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर बन्द कर सुपुर्द किया तथा परिवादी ने बताया कि मैं होटल तुलसी पर गया तो मुझे श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल मौजुद नही मिले जिस पर मैं वहां से रवाना होकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर बन्द कर आया हूँ। परिवादी ने बताया कि शायद वह होड़ा चैराहा या भदेसर पुलिस थाने पर वापस चले गये होंगे। इस पर पुनः समय करीब 11.10 ए.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री अनीस खान के मोबाईल नम्बर 9636448598 से आरोपी श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल के मोबाईल नम्बर 9587189388 पर लाउडस्पीकर ऑन कर व्हाट्सअप कॉल करवाया तो श्री सुरेश कुमार कान्सटेबल ने पुलिस थाना भदेसर के पास मिलने के सम्बन्ध में वार्तालाप की जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इस पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर पुनः चालु व बन्द करने की समझाईश देकर सुपुर्द किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्य जरिये सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी की निजी कार से पूर्वानुसार स्थिति से समय 11.13 ए.एम. पर होटल तुलसी से पुलिस थाना भदेसर के लिये रवाना होकर समय करीब 11.27 ए.एम. पर पुलिस थाना भदेसर से कुछ दूरी पर पहुंचे तथा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्ड चालु कर भदेसर पुलिस थाने के लिये रवाना किया। उसी दौरान् परिवादी पुलिस थाना भदेसर के बाहर स्थित एक चाय नाश्ता की होटल के पास रोड़ पर कार में बैठा था तत्पश्चात् वहां पर एक व्यक्ति परिवादी की कार के पास गेट पर आकर कार के अन्दर बैठ गया और कुछ समय पश्चात् परिवादी की कार के अन्दर से बाहर निकला जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को नजर आ रहा था उसी दरम्यान् समय करीब 11.32 ए.एम. पर परिवादी श्री अनीस खान ने अपने मोबाईल फोन से श्री जितेन्द्रसिंह हैड कान्सटेबल के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित परिवादी श्री अनीस खान की कार के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी मैंने पुलिस थाना भदेसर के बाहर सड़क पर कैलाश रेन्टोरेन्ट के बाहर खड़ा होकर समय करीब 11.29 ए.एम. पर मैंने मेरे मोबाईल नम्बर 9636448598 से श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल के मोबाईल नम्बर 9587189388 पर लाउडस्पीकर ऑन कर व्हाट्सअप कॉल कर वार्ता की तो उसने कहा कि पास ही कैलाश रेन्टोरेन्ट पर श्री कैलाश जी को रूपये दे देना मैं अभी थाने से बाहर हूँ जिस पर परिवादी की कार के पास खड़े हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री कैलाश जी है जिन्होंने अभी-अभी श्री सुरेश कुमार कान्सटेबल के कहने से मेरे पास आये तथा मेरे से 15000 रूपये श्री सुरेश जी को देने हेतु रिश्वती राशि मांगकर अपने दोनो हाथों से ग्रहण किये तथा उसके बाद श्री सुरेशकुमार की वाट्सअप कॉल से श्री कैलाश जी की बात करवाई गई जो इन्होने 15000 रूपये गिनने के बाद अपनी शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कैलाशचन्द्र तेली पुत्र श्री गोटू तेली निवासी भदेसर जिला चितोडगढ़ होना बताया। इस पर श्री कैलाशचन्द्र तेली को परिवादी श्री अनीस खान से रिश्वत राशि ग्रहण करने के बारे में पुछा तो उसने बताया कि साहब गलती हो गई है माफ कर दो मुझे नही पता था कि यह रिश्वत के रूपये है, तथा परिवादी की ओर ईशारा कर बताया कि यह भाई साहब अभी-अभी कार लेकर मेरे कैलाश रेस्टोरेन्ट के बाहर आये तथा मुझे बुलाया और मेरी इनके मोबाईल से व्हाट्सअप कॉल से श्री सुरेश जी कान्सटेबल पुलिस थाना भदेसर वालो से बात करवाई तो उन्होने मुझे इनसे 15000 रूपये लेने हेतु कहा जिस पर मैंने 15000 रूपये लेकर मेरे पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जैब में रखे है। चूंकि आरोपी श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल को डिटेन किया जाना आवश्यक होने से श्री कैलाशचन्द्र तेली के बाये हाथ को श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल एवं दाये हाथ को श्री जितेन्द्रसिंह हैड कान्सटेबल से पकड़वाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य सामने स्थित पुलिस थाना भदेसर में पैदल चलकर पहुंचे तो पुलिस थाना भदेसर के सी.सी.टी.एन. कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति की ओर परिवादी श्री अनिस खान ने ईशारा कर बताया कि यही श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल है जिन्होने मेरे दोस्त हुसैन निवासी सावा और कोई गुर्जर जाति के व्यक्ति से होड़ा चैराहा पर पर हुसैन की दूकान पर उसके कुत्ते के चैरी करने के मामले में लड़ाई झगड़ा होने पर हुसैन द्वारा पुलिस थाना भदेसर में रिपोर्ट दी जिस पर उसे पुलिस थाना भदेसर में हुसैन व उससे झगड़ा करने वाले गुर्जर दोनो को बन्द कर दिया तथा श्री हुसैन से मारपीट नही करने और जल्दी न्यायालय में पेश करने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत राशि इनके स्वयं के लिये एवं थानेदार श्री रविन्द्र सेन को देने के लिये मांग की गई जो अभी-अभी इनकी मांग के मुताबिक मैंने पुलिस थाना भदेसर के बाहर आया तथा श्री सुरेश जी कान्सटेबल को व्हाट्सअप कॉल किया तो कहा कि मैं थाने से बाहर हूँ और थाने के बार कैलाश जी जो कैलाश रेस्टोरेन्ट पर है रूपये उनको देने हेतु कहा जिस पर श्री कैलाश जी ने मेरे से श्री सुरेश जी कान्सटेबल को देने के लिये 15000 रूपये मांगकर ग्रहण किये थे तथा रूपये लेन-देन के दौरान् श्री सुरेश जी कान्सटेबल की बात श्री कैलाश जी से भी करवाई थी। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय देते हुए आने के मनतव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेश भादू पुत्र श्री पूनाराम जी निवासी ग्राम रोटू तहसील जायल जिला नागौर हाल कान्सटेल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर जिला चितोडगढ़ होना बताया। इस पर श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 को परिवादी श्री अनीस खान के दोस्त हुसैन निवासी सावा के कुत्ते के चोरी के मामले में गुर्जर जाति के आदमी से लड़ाई झगड़ा होने पर हुसैन द्वारा पुलिस थाना भदेसर में रिपोर्ट दी जिस पर उसे पुलिस थाना भदेसर में हुसैन व उससे झगड़ा करने वाले गुर्जर दोनो को बन्द कर दिया तथा श्री हुसैन से मारपीट नही करने और जल्दी न्यायालय में पेश करने की एवज में श्री रविन्द्र सेन के नाम पर 15000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर श्री कैलाश चन्द्र तेली को दिलवाने के सम्बन्ध में पुछने पर श्री सुरेश भादू ने बताया कि साहब गलती हो गई है माफ कर दो मैंने जो 15000 रूपये श्री कैलाश जी को दिलवाये थे वह मेरे अकेले के नही थे यह तो थानेदार साहब श्री रविन्द्र सेन के कहने पर मैंने श्री अनीस खान से मांगे थे तथा

इनमें से मेरे को तो थानेदार जी कुछ रूपये देते। दिनांक 26.05.2024 को श्री अनीस खान जब पुलिस थाना भदेसर पर आया तो थानेदार जी श्री रविन्द्र जी सेन से मिला उसके बाद श्री रविन्द्र जी सेन ने उसको मेरे से बातचीत करने के लिये कहा था तत्पश्चात् मैंने श्री रविन्द्र जी सेन के कहे अनुसार दिनांक 27.05.2024 को श्री अनीस खान से मैंने 15000 रूपये मांगे थे । इस दौरान् श्री कैलाशचन्द्र तेली ने श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल को कहा कि आपको रिश्वत राशि लेनी थी तो आप ही ले लेते मुझे क्यों फंसाया है। आप थाने पर ही मौजुद थे तो आपको ही रिश्वत के रूपये लेने चाहिये थे ना। इस पर श्री सुरेशकुमार कान्सटेबल ने कोई प्रतिक्रिया नही दी। इस पर श्री सुरेश भादू कान्सटेबल व श्री कैलाशचन्द्र तेली (प्राईवेट व्यक्ति) को यथास्थिति अनुसार साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य सी.सी.टी.एन. कक्ष से थानाधिकारी के कक्ष में समय उपस्थित आये जहां पर थानाधिकारी के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मनतवय से अवगत कराया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता की अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सभी की तलाशी लेने का अवसर दिया गया जिस पर उनके द्वारा तलाशी लेने हेतु इन्कार किया गया। प्रकियानुसार आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल 88 से सरकारी वाहन टवेरा में से ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रैप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर पानी की बोटल से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली की निशादेही पर उसके पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जेब में से रिश्वत राशि गवाह श्री चन्द्रकांत राजोरिया से निकलवाये गये तो 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि पन्द्रह हजार रूपये बरामद हुए। दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये तत्पश्चात् आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली की शर्ट सहसम्मान उतरवाकर उसे दूसरी शर्ट पहनाकर एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बॉक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली के शर्ट की उपरी बायी जैब को उलटवाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबाया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क S-1 व S-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली की उक्त शर्ट बरंग हल्का लाल की बायी जैब सुखने पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट बंद श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क " S " अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। चूंकि दिनांक 26.05.2024 व 27.05.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् परिवादी श्री अनिस खान की वार्तालाप श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी पुलिस थाना भदेसर एवं श्री सुरेश भादू कान्सटेबल के मध्य हुई जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्तालाप के दौरान् श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी द्वारा परिवादी को उसके दोस्त हुसेन जो पुलिस थाना भदेसर में बन्द था वार्ताअनुसार उसके साथ मारपीट नही करने के काफी डराया धमकाया एवं जल्दी न्यायालय में पेश करने के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी, उस दौरान् उसके मामले में आगे की बातचीत श्री सुरेश भादू कान्सटेबल से करने हेतु थानाधिकारी श्री रविन्द्र सेन ने कहा था जिस पर परिवादी श्री अनिस खान ने श्री सुरेश भादू कान्सटेबल ने अलग से बातचीत कर 15000 रूपये थानाधिकारी के नाम से रिश्वत राशि की मांग की गई थी जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। कार्यवाही के दौरान् भी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल द्वारा अपने स्पष्टीकरण में परिवादी श्री अनिस खान से ली गई 15000 रूपये रिश्वत राशि थानाधिकारी श्री रविन्द्र सेन के कहे अनुसार लेना बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपस्थित थानाधिकारी श्री रविन्द्र सेन को उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुछा गया तो श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी ने बताया कि मैंने परिवादी से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है तथा दिनांक 26.05.2024 व 27.05.2024 को श्री अनिस खान मेरे पास पुलिस थाना भदेसर में मेरे पास आया जिसको मैंने उसके दोस्त हुसैन को जल्दी न्यायालय में पेश करने के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी, परन्तु उस दौरान् मैंने उससे कोई रिश्वत राशि की ना तो मांग की गई है और ना ही ग्रहण की गई। चूंकि थाने पर पदस्थापित श्री सुरेश कानि. जो सी.सी.टी.एन.एस. का काम कम्प्यूटर पर

फास्ट करता है उसकी फाईल का जल्दी सी.सी.टी.एन.एस. पर काम करवाने के लिये मैंने श्री अनिस खान को श्री सुरेश कान्सटेबल से मिलने के बारे में कहा था। इस पर परिवादी ने श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी की उक्त बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी झूठ बोल रहे है तथा जब मैं दिनांक 27.05.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् पुलिस थाना भदेसर में इनसे मिला तो इन्होने मुझे देखकर किसी अन्य व्यक्ति को थाने के कक्ष में मारपीट कर रहे थे तथा मुझे भी मेरे मित्र हुसैन को इसी तरह की मारपीट करने का भय दिखाकर उस दौरान् श्री सुरेश कान्सटेबल से रिश्वत राशि लेने की मंशा हेतु मिलने के लिये कहा जिस पर श्री सुरेश कान्सटेबल मेरे से मिला और उसने थानाधिकारी के नाम से मेरे मित्र हुसैन के साथ मारपीट नही करने और जल्दी न्यायालय में पेश करने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत राशि श्री सुरेश कुमार कान्सटेबल द्वारा श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी को देने के लिये मेरे से रिश्वत की मांग की गई। परिवादी के दोस्त श्री हुसैन के पालतु कुत्ते के सम्बन्ध में आपसी लड़ाई झगड़े की थाने पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसके सम्बन्ध में रिकॉर्ड पेश करने हेतु कहा तो पुलिस थाना पर उपस्थित श्री मिश्रीलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 1245 ने अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर पुलिस थाना भदेसर के पत्रांक 1331 दिनांक 28.05.2024 के साथ संलग्न कर उक्त रिकॉर्ड पेश किया गया जिसका अवलोकन किया गया तो पाया कि श्री हुसैन मोहम्मद पिता श्री अब्दुल मोहम्मद उर्फ अब्दुल गफ्फार उम्र 23 वर्ष निवासी सावा थाना शम्भूपुरा जिला चितोडगढ़ ने श्री दिनेश गुर्जर पिता छोगालाल गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी होड़ा थाना भदेसर जिला चितोडगढ़ के विरूद्ध उसके पालतु कुत्ते को छुपाने के सम्बन्ध में आपस में दिनांक 26.05.2024 को लड़ाई झगड़ा होने से उक्त दोनो को हस्ब दफा 151 सी.आर.पी.सी. में पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जिसका इस्तगासा नम्बर 73/2024 धारा 107-151 जा.फो. को उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय भदेसर जिला चितोडगढ़ में दिनांक 27.05.2024 को श्री मुकेशकुमार सहायक उप निरीक्षक ने पेश किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां में पेज संख्या 1 से 12 तक है, उक्त रिकॉर्ड के अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी, श्री सुरेश भादू कान्सटेबल एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपीगणों ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 1.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय करीब 1.40 पी.एम. पर आरोपी श्री रविन्द्र सेन के पुलिस थाना भदेसर में स्थित क्वार्टर में निवासरत होना बताये जाने पर उक्त सरकारी आवास पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान एवं आरोपी श्री रविन्द्र सेन की निशादेही से खानातलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द खानातलाशी क्वार्टर पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 2.05 पी.एम. पर आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 371 के पुलिस थाना भदेसर में स्थित बेरीक में निवासरत होना बताये जाने पर उक्त बेरक में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान एवं आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 की निशादेही से बेरक में रखी हुई लोहे की आलमारी की खानातलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द खानातलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 2.20 पी.एम. पर जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स ईत्यादि को ट्रैप बॉक्स में सुरक्षित रखवाकर ट्रैप बॉक्स एवं लेपटोप, प्रिन्टर को सरकारी वाहन में रखवाकर श्री जितेन्द्रसिंह हैड कानि., श्री खालिद हुसैन हैड कानि., श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्रसिंह स्वतन्त्र गवाह को परिवादी श्री अनीस खान की निजी प्राईवेट गाड़ी से एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सान्दू, मय स्वतन्त्र गवाह श्री चन्द्रकांत राजोरिया, मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपतसिंह सहायक उप निरीक्षक, आरोपीगण श्री रविन्द्र सेन उप निरीक्षक पुलिस (थानाधिकारी), श्री सुरेश भादू कान्सटेबल एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली मय आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे.-14-यू.सी.-8792 मय चालक श्री शेरसिंह के पुलिस थाना भदेसर से ब्यूरो कार्यालय चितोडगढ़ के लिये रवाना होकर समय करीब 3.25 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चितोडगढ़ पहुंचे तथा जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल को निर्देशित किया तथा आरोपीगणों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। समय करीब 4.00 पी.एम. पर दिनांक 28-05-24 को रिश्वती राशि के लेनदेन से पूर्व परिवादी श्री अनिस खान एवं आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर के मध्य मोबाईल व्हाट्सअप कॉल एवं रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई, उक्त डिजिटल टेप रिकोर्डर को श्री जितेन्द्रसिंह हैड कान्सटेबल से ब्यूरो के लैपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री जितेन्द्रसिंह हैड कान्सटेबल से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 7.25 पी.एम. पर आरोपी श्री रविन्द्र सेन को आवाज का नमूना हेतु पत्र दिया गया तो आरोपी ने इन्हीं पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा आरोपी श्री रविन्द्र सेन का पुछताछ नोट पृथक से तैयार करवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 8.00 पी.एम. पर आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 को आवाज का नमूना हेतु पत्र दिया गया तो

आरोपी ने इन्हीं पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल 341 का पुछताछ नोट पृथक से तैयार करवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 8.30 पी.एम. पर आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली को आवाज का नमूना हेतु पत्र दिया गया तो आरोपी ने इन्हीं पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली का पुछताछ नोट पृथक से तैयार करवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 9.10 पी.एम. पर आरोपी श्री रविन्द्र सेन उप निरीक्षक पुलिस (थानाधिकारी) पुलिस थाना भदेसर द्वारा परिवादी के दोस्त श्री हुसैन मोहम्मद पिता श्री अब्दुल मोहम्मद उर्फ अब्दुल गफ्फार उम्र 23 वर्ष निवासी सावा थाना शम्भूपुरा जिला चितोडगढ़ ने श्री दिनेश गुर्जर पिता छोगालाल गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी होड़ा थाना भदेसर जिला चितोडगढ़ के विरूद्ध उसके पालतु कुत्ते को छुपाने के सम्बन्ध में आपस में दिनांक 26.05.2024 को लड़ाई झगड़ा होने की रिपोर्ट पुलिस थाना भदेसर पर दर्ज करवाई गई जिसकी जांच श्री विक्रम कान्सटेबल द्वारा की जा रही थी तथा उक्त दोनो को हस्ब दफा 151 सी.आर.पी.सी. में पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जिसका इस्तगासा नम्बर 73/2024 धारा 107-151 जा.फो. को उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय भदेसर जिला चितोडगढ़ में दिनांक 27.05.2024 को श्री मुकेशकुमार सहायक उप निरीक्षक ने पेश किया गया परन्तु उक्त मामले में परिवादी के मित्र श्री हुसेन के साथ मारपीट नही करने एवं जल्दी न्यायालय में पेश करने हेतु परिवादी द्वारा दौराने् मांग सत्यापन मिलने पर श्री रविन्द्र सेन द्वारा परिवादी को थाने पर पदस्थापित श्री सुरेश कान्सटेबल से मिलने हेतु कहा। चूंकि उक्त मामले की जांच श्री विक्रम कान्सटेबल के जिम्मे हुई तथा इस्तगासा नम्बर 73/2024 धारा 107-151 जा.फो. को उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय भदेसर जिला चितोडगढ़ में दिनांक 27.05.2024 को श्री मुकेशकुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा पेश किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी की मंशा परिवादी से रिश्वत राशि लेने की होने से श्री सुरेश कान्सटेबल से मिलने हेतु कहा तथा श्री सुरेश कान्सटेबल द्वारा परिवादी से 15000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर प्राईवेट व्यक्ति श्री कैलाशचन्द्र तेली को दिलवाये जो दौराने् ट्रेप कार्यवाही श्री कैलाशचन्द्र तेली के पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जैब से बरामद किये जाकर नियमानुसार सिलचिट किया गया था। दौराने् ट्रेप कार्यवाही पुछताछ अनुसार श्री सुरेश भादू कान्सटेबल द्वारा रिश्वत राशि श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी के कहे अनुसार मांग करना व ग्रहण करना बताया गया है। उक्त मामले में आरोपी श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उसकी मौजुदगी में कांग्नीजेबल ओफेन्स किया है, (रिश्वत राशि की मांग करना व रिश्वत राशि ग्रहण करना) इनके खिलाफ युक्तियुक्त सूचना है, इसके द्वारा उक्त अपराध कारित करने के पर्याप्त साक्ष्य है। उक्त कार्यवाही के उचित अन्वेषण के लिए इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, अगर इन्हे गिरफ्तार नही किया गया तो यह गवाह/परिवादी को डरा, धमका/प्रलोभन देकर इन्हे होस्टाईल कर सकता है, साक्ष्यों को खत्म कर सकते है, यदि गिरफ्तार नही किया गया तो यह व्यक्ति भाग भी सकता है, जिसके कारण प्रकरण के विचारण को समय इन्हे न्यायालय में समय पर पेश नही किया जा सकेगा। आरोपी श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी को उसके किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार समय करीब 9.20 पी.एम. पर आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली निवासी पुलिस थाना भदेसर जिला चितोडगढ़ को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री रविन्द्र सेन एवं आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल के कब्जे से मिले मोबाईल को जरिये फर्द वजह सबूत अलग-अलग नियमानुसार जब्त किया गया जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.05 पी.एम. पर दिनांक 26-05-24 व 27.05.2024 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अनिस खान की वार्तालाप आरोपी श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी व श्री सुरेश भादू कान्सटेबल 341 के मध्य आमने सामने व मोबाईल के वाट्सअप कॉल पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 28.05.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री अनिस खान की वार्तालाप आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल 341 से मोबाईल के व्हाट्सअप कॉल एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली (प्राईवेट व्यक्ति) से रूबरू हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लैपटॉप से श्री जितेन्द्रसिंह हैड कान्सटेबल नम्बर 132 से कनेक्ट करा वार्तालाप की पांच पेनड्राईव 8-8 जी.बी. के.डी.एम. कम्पनी की तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा एक आई.ओ. पेनड्राईव लिखा गया तथा तीन पर डब पेनड्राईव अलग-अलग लिखा गया। मूल पेनड्राईव के.डी.एम. 8 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा समय 11.05 पी.एम. पर पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा तीनों डब पेनड्राईव 8-8 जी.बी. को अलग-अलग कवर अलग-अलग को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को तीन अलग-अलग सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद

सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आई.ओ. पेनड्राईव को भी सुरक्षित रखा गया। समय करीब 11.30 पी.एम. पर दिनांक 26-05-24 व 27.05.2024 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अनिस खान की वार्तालाप आरोपी श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी व श्री सुरेश भादू कान्सटेबल 341 के मध्य आमने सामने व मोबाईल के वाट्सअप कॉल पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 28.05.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री अनिस खान की वार्तालाप आरोपी श्री सुरेश भादू कान्सटेबल 341 से मोबाईल के व्हाट्सअप कॉल एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली (प्राईवेट व्यक्ति) से रूबरू हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जी.बी. जिस पर के.डी.एम. लिखा हुआ है। मूल मेमोरी कार्ड के.डी.एम. 8 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क M अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा समय 11.30 पी.एम. पर जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। परिवादी श्री अनिस खान को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा दोनों गवाहों को भी मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय करीब 11.55 पी.एम. पर आरोपीगण श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी, श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली प्राईवेट व्यक्ति का मेडीकल करवाने हेतु एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में रखने हेतु जरिये तहरीर पृथक-पृथक कार्यालय के श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल एवं मय जाब्ता के साथ जरिये सरकारी वाहन टवेरा से मय चालक शेरसिंह सहित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 29-05-2024 को समय करीब 00.50 ए.एम. पर श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल एवं मय जाब्ता के साथ जरिये सरकारी वाहन टवेरा से मय चालक शेरसिंह सहित आरोपीगणों का मेडीकल करवाकर पुलिस थाना कोतवाली चितोडगढ़ में जमा करवाकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा सिलचिट शुदा मेमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल को निर्देशित किया जाकर कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को प्रातः समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 10.40 ए.एम. पर श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल एवं मय जाब्ता के साथ जरिये सरकारी वाहन टवेरा से मय चालक शेरसिंह सहित आरोपीगणों को पुलिस थाना कोतवाली चितोडगढ़ से ब्यूरो कार्यालय में लाकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाकर रूखसत किया गया। समय करीब 11.00 ए.एम. पर आरोपीगण श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी, श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली प्राईवेट व्यक्ति को सिटी कोतवाली चितोडगढ़ से श्री खालिद हुसैन हैड कान्सटेबल एवं मय जाब्ता के साथ जरिये सरकारी वाहन टवेरा से मय चालक शेरसिंह सहित लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, आरोपीगणों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया एवं पुलिस थाना भदेसर से रोजनामचा आम मय दस्तावेज की प्रतियां चाहने हेतु पत्र प्रेषित कर रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 3.30 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता के साथ आरोपीगण श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी, श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली प्राईवेट व्यक्ति को जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के समक्ष पेश करने हेतु जरिये सरकारी वाहन मय चालक सहित रवाना हुए। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से पाया कि परिवादी के दोस्त श्री हुसैन मोहम्मद पिता श्री अब्दुल मोहम्मद उर्फ अब्दुल गफ्फार उम्र 23 वर्ष निवासी सावा थाना शम्भूपुरा जिला चितोडगढ़ ने श्री दिनेश गुर्जर पिता छोगालाल गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी होड़ा थाना भदेसर जिला चितोडगढ़ के विरूद्ध उसके पालतु कुत्ते को छुपाने के सम्बन्ध में आपस में दिनांक 26.05.2024 को लड़ाई झगड़ा होने की रिपोर्ट पुलिस थाना भदेसर पर दर्ज करवाई गई जिसकी जांच श्री विक्रम कान्सटेबल द्वारा की जा रही थी तथा उक्त दोनो को हस्ब दफा 151 सी.आर.पी.सी. में पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जिसका इस्तगासा नम्बर 73/2024 धारा 107-151 जा.फो. को उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय भदेसर जिला चितोडगढ़ में दिनांक 27.05.2024 को श्री मुकेशकुमार सहायक उप निरीक्षक ने पेश किया गया परन्तु उक्त मामले में परिवादी के मित्र श्री हुसेन के साथ मारपीट नही करने एवं जल्दी न्यायालय में पेश करने हेतु परिवादी द्वारा दौराने् मांग सत्यापन मिलने पर श्री रविन्द्र सेन द्वारा परिवादी को थाने पर पदस्थापित श्री सुरेश कान्सटेबल से मिलने हेतु कहा। चूंकि उक्त मामले की जांच श्री विक्रम कान्सटेबल के जिम्मे हुई तथा इस्तगासा नम्बर 73/2024 धारा 107-151 जा.फो. को उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय भदेसर जिला चितोडगढ़ में दिनांक 27.05.2024 को श्री मुकेशकुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा पेश किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी की मंशा परिवादी से रिश्वत राशि लेने की होने से श्री सुरेश कान्सटेबल से मिलने हेतु कहा तथा श्री सुरेश कान्सटेबल द्वारा परिवादी से 15000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर प्राईवेट व्यक्ति श्री कैलाशचन्द्र तेली को दिलवाये जौ दौराने् ट्रेप कार्यवाही श्री कैलाशचन्द्र तेली के पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जैब से बरामद किये जाकर नियमानुसार सिलचिट किया गया था। दौराने् कार्यवाही आरोपी श्री कैलाशचन्द्र तेली की शर्ट की उपरी बांयी जैब एवं दोनों हाथों का नियमानुसार धोवन लिया जाकर सेम्पल सिलचिट बन्द कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। कान्सटेबल सुरेश का हुसैन मोहम्मद और दिनेश गुर्जर के मध्य हुए झगड़े से कोई सम्बन्ध नही है, ना तो वह इस परिवाद की जांच कर रहा था न ही उसने इस्तगासा

तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था। सुरेश एल.सी. भी नही है और सी.सी.टी.एन.एस. का काम भी नही देखता है, थाना भदेसर में कान्सटेबल पंकज नम्बर 378 सी.सी.टी.एन.एस. और कम्प्यूटर का काम करता है। अगर श्री रविन्द्र सेन परिवादी को मुकेश ए.एस.आई. से मिलने के लिये कहता तो समझ में आता क्योंकि यह इस्तगासा और मुल्जिम को उपखण्ड न्यायालय में पेश करने की जिम्मेदारी उसी की थी। स्पष्ट है कि कान्सटेबल सुरेश इसी प्रकार की चौथवसूलियां थानाधिकारी के निर्देश पर करता है। थानाधिकारी का यह कहना झूठ है कि सी.सी.टी.एन.एस. पर फास्ट काम करवाने के लिये परिवादी को श्री सुरेश कान्सटेबल के पास भेजा हो। दौराने् ट्रेप कार्यवाही पुछताछ अनुसार श्री सुरेश भादू कान्सटेबल द्वारा रिश्वत राशि श्री रविन्द्र सेन थानाधिकारी के कहे अनुसार मांग करना व ग्रहण करना बताया गया है। उक्त आरोपीगणों द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में कॉग्नीजेबल ऑफेंस किया है, (रिश्वत राशि की मांग करना व रिश्वत राशि ग्रहण करना) इनके खिलाफ युक्तियुक्त सूचना है, इसके द्वारा उक्त अपराध कारित करने के पर्याप्त साक्ष्य होने से आरोपीगण श्री रविन्द्र सेन उप निरीक्षक पुलिस (थानाधिकारी), श्री सुरेश भादू कान्सटेबल नम्बर 341 पुलिस थाना भदेसर एवं श्री कैलाशचन्द्र तेली (प्राईवेट व्यक्ति) को ट्रैप कार्यवाही के दौरान ही नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री रविन्द्र सेन पुत्र श्री भैरू लाल सेन उम्र 37 वर्ष निवासी होली चौक, खेरोदा पुलिस थाना खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर हाल थानाधिकारी, पुलिस थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ़, श्री सुरेश भादू पुत्र श्री पुनाराम भादू उम्र 32 वर्ष जाति विश्नोई निवासी ग्राम रोटूं तहसील व पुलिस थाना जायल जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 341, पुलिस थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ़ एवं आरोपी श्री कैलाश चन्द्र तेली पुत्र श्री गोटू जी तेली उम्र 48 वर्ष जाति तेली निवासी भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर 15,000 रूपये रिश्वत की मांगकर ग्रहण करना जुर्म धारा अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशेाधित-2018) एवं 34 भा.द.स. में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (कैलाश सिंह सान्दू) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्र. नि. ब्यूरो चितोडगढ़ ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ , ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 34 भा0द0स0 में आरोपी 1. श्री रविन्द्र सैन पुत्र श्री भैरू लाल सैन उम्र 37 वर्ष निवासी होली चैक, खेरोदा पुलिस थाना खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर हाल थानाधिकारी, पुलिस थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ़। 2. श्री सुरेश भादू पुत्र श्री पुनाराम भादू उम्र 32 वर्ष जाति विश्नोई निवासी ग्राम रोटूं तहसील व पुलिस थाना जायल जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 341, पुलिस थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ़। 3. आरोपी श्री कैलाश चन्द्र तेली पुत्र श्री गोटू जी तेली उम्र 48 वर्ष जाति तेली निवासी पुलिस थाना भदेसर के पास, कैलाश रेस्टोरेन्ट, भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी हिम्मत सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 482 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 526-30 दिनांक 30.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर। 3 जिला पुलिस अधीक्षक चितौड़गढ। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चितौड़गढ़। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HIMMAT CHARAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/05/2024 16:36:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/07/1988				
2	Male	10/06/1993				
3	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)